प्रदेश में आसान हुआ नए शहर बसाना सात कानूनों में जेल नहीं सिर्फ जुर्माना

कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर : युवाओं को निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की मिलेगी सुविधा

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड में अब नए शहर बसाने की राह आसान हो गई है। कैबिनेट की बैठक में बुधवार को लैंड पूलिंग (भूमि संयोजन) नीति और टाउन प्लानिंग योजना पर मुहर लगाई गई। वहीं उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश में सात कानूनों में कारावास की सजा खत्म कर जुर्माना राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

हाईटेंशन लाइन के टावर की भूमि अधिग्रहण पर अब दो गुना मुआवजा मिलेगा। बैठक में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग देने के लिए मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना लागू करने सहित 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम और सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आवास विभाग की लैंड पूलिंग नीति और टाउन प्लानिंग योजना से नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। भवन उपविधि में संशोधन से रिजॉर्ट बनाने के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। कैबिनेट ने उत्तराखंड जन विश्वास अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी। इसके तहत सात कानूनों में कारावास की सजा खत्म कर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है। कुल 52 ऐसे कानून चिह्नित हैं।

अब हर जिले में अभियोजन निदेशालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत राज्य में अभियोजन निदेशालय की स्थापना देहरादून में किए जाने को मंजूरी दी। इसके अलावा हर जिले में जिला स्तरीय अभियोजन निदेशालय बनेगा। जिलों के अभियोजन निदेशालय सात साल से कम सजा वाले मामलों में अपील पर फैसला लेंगे तो इससे ऊपर की सजा के मामलों में राज्यस्तरीय निदेशालय फैसला लेगा।

ये भी हुए अहम फैसले

- भारत सरकार द्वारा स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट के तहत ग्रीन बिल्डिंग बनाने पर दो से पांच प्रतिशत तक फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में छूट मिलेगी, जिसे भवन की ऊंचाई के हिसाब से इस्तेमाल कर सकेंगे।
- 66 केवी या अधिक की पारेषण बिजली लाइनों के टावर लगाने के लिए अब भूमि अधिग्रहण में मालिक को दोगुना मुआवजा मिलेगा। केंद्र के 2024 में जारी नियमों को अपनाने की मंजूरी दी गई।
- उत्तराखंड तकनीकी विवि में भी अन्य विवि की भांति फैकल्टी की भर्ती लोक सेवा आयोग के बजाय अब विश्वविद्यालय स्तर से होगी।
- जीएसटी के तहत राज्य माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश मंजूर
- उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007 में संशोधन को स्वीकृति।
- पिथौरागढ़ में स्थित नैनी-सैनी एयरपोर्ट को वाणिज्यिक एवं नागरिक विमानों के संचालन, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपने की मंजूरी।
- रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड परियोजना के निर्माण कार्यों में जीएसटी व रॉयल्टी पर छूट देने की मंजूरी।
- स्क्रैप में 15 साल पुराना वाहन देने वालों को नए वाहन की खरीद पर टैक्स में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। केंद्र से इसके लिए 50 करोड़ की राशि भी मिलेगी।

60% कर दी गई साइलेज पर सब्सिडी

घस्यारी कल्याण योजना और साइलेज एवं दुधारू पशुपोषण योजना में सब्सिडी 75% से घटाकर 60 % कर दी गई।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होगी आसान

राज्य विश्वविद्यालयों, शासकीय और अनुदानित महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग होगी। सरकार ने मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी दी है।

>> कैबिनेट के फैसले : पेज 04